मीरजापुर पुलिस
-प्रेस नोट-
दिनांकः17.04.2024

थाना हलिया पुलिस द्वारा शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार, पिकअप पर क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाए जा रहे 09 राशि गोवंश बरामद —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराने एवं जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा गो-तस्करों की गिरफ्तारी व उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थाना हलिया पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः17.04.2024 को थाना हलिया पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ड्रमण्डगंज की तरफ से कुछ गो-तस्कर पिकअप में क्रूरता पूर्वक गोवंशो को लादकर वध हेतु ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना हलिया पुलिस टीम द्वारा ड्रमण्डगंज बार्डर बह्द ग्राम महुगढ़ समौती के पास से सघन चेकिंग कर पिकअप सवार एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके द्वारा पूछताछ में अपना नाम-पता हनुमान पुत्र हिंचलाल निवासी तिखोर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर बताया गया। पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन की तलाशी ली गई तो पिकअप में क्रूरता पूर्वक बांधकर लदे हुए कुल 09 राशि गोवंश(05 राशि बैल, 03 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा) बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हलिया पर मु0अ0सं0-43/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा अन्य सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्याः UP67BT1380 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ—

गिरफ्तार अभियुक्त हनुमान उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सड़क के किनारे जगह-जगह बैठे गोवंशो को पकड़ कर जोडे-जोडे में बांधकर पिकअप में लादकर बिहार के रास्ते वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहा था कि पकडा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—हनुमान पुत्र हिंचलाल निवासी तिखोर थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।

विवरण बरामदगी—09 राशि गोवंश (05 राशि बैल, 03 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा).

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय — ड्रमण्डगंज बार्डर के पास ग्राम महुगढ़ समौती से , आज दिनांकः17.04.2024 को समय 04.30 बजे।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं-43/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हलिया जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष हलिया-विष्णु प्रभा सिंह मय पुलिस टीम।
उप-निरीक्षक श्यामलाल थाना हलिया मय पुलिस टीम।

थाना
जनपद - मीरजापुर
मो. 9454404007